UPCH010016352015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, चित्रकूट

पीठासीन अधिकारी-(Anurag Kureel), (उच्चतर न्यायिक सेवा)-UP 1521

सत्र परीक्षण संख्या–173/2015

सरकार .....अभियोजक।

बनाम

इरफान उर्फ सलमान पुत्र अतीक अहमद, निवासी तरौंहा, हाल पता लोढ़वारा कालोनी कर्वी, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट।

.....अभियुक्त।

अन्तर्गत धारा–413 भा0दं0सं0
थाना–कोतवाली कर्वी।
जनपद–चित्रकूट।
अपराध सं0–362/2015

निर्णय

01– अभियुक्त **इरफान उर्फ सलमान** पुत्र अतीक अहमद, निवासी तरौंहा, हाल पता लोढ़वारा कालोनी कर्वी, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट का विचारण मुकदमा अपराध संख्या–362/2015, धारा–413 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट के प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया है।

02– अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 09.05.2015 को मामले के वादी उप निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद यादव मय हमराही हेड कां0 धन सिंह के थाना स्थानीय से बहवाले रपट नम्बर 12 समय 08:20 बजे रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध व तलाश अपराधी में मामूर होकर क्षेत्र भ्रमण करते हुये चकरेही चौराहा शंकर बाजार में मौजूद थे, उसी समय उप निरीक्षक रविन्द्रनाथ राय उपस्थित आये तथा सभी लोग

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, चित्रकूट।
I.D. No. UP 1521

Digitally signed by ANURAG KUREEL
Date: 2026.03.10 15:52:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रोकथाम अपराध एवं अपराधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि तभी मुखबिरखास ने आकर उससे बताया कि एक मोटरसाईकिल चोअ को वह जानता है और वह इस समय चोरी की मोटरसाईकिल लिये ब्रम्हचर्य इण्टर कालेज भैरो पागा रोड़ के किनारे किसी को बेचने के फिराक में खड़ा है, यदि जल्दी करे, तो वह चोरी की मोटरसाईकिल सहित पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर तत्काल वादी मुकदमा मय हमराही पुलिस बल के भैरोपागा रोड़ की तरफ चल दिये और जैसे ही ब्रम्हचर्य इण्टर कालेज के पहले पहुंचे तो एक व्यक्ति मोटरसाईकिल पर बैठा खड़ा दिखाई दिया और जो पुलिस बल को देखते ही मोटरसाईकिल स्टार्ट करके मोड़र सन्तोषी माता मन्दिर की तरफ भागना चाहा कि इसी दौरान मोटरसाईकिल अनियन्त्रित हो गयी और मौके पर ही मोटरसाईकिल सहित गिर पड़ा कि पुलिस बल द्वारा तत्काल घेरकर मौके पर ही मोटरसाईकिल सहित उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा पकड़े गये व्यक्ति से नाम–पता पूंछते हुये भागने का कारण पूंछा गया, तो उसने अपना नाम इरफान उर्फ सलमान पुत्र अतीक अहमद निवासी तरौंहा, हाल पता लोढ़वारा कालोनी ब्लाक नम्बर 27 कमरा नम्बर 315 थाना कोतवाली कर्वी जिला चित्रकूट बताया तथा कड़ाई से पूंछतांछ करने पर बताया कि यह मोटरसाईकिल जिसका नम्बर यू0पी0 73ई 0342 पैशन प्रो रंग लाल चोरी की है तथा इसको उसने कुछ दिन पहले सिराथू सैनी तहसील से चोरी किया था, जिसका आज बेचने हेतु ग्राहक का इन्तजार कर रहा था। उक्त बरामद मोटरसाईकिल का इंजन नम्बर HA10EDAGJ20723 व चेचिस नम्बर MBLHA10AHGJ18244 अंकित है। पकड़े गये व्यक्ति ने यह भी बताया कि पिछले साल उसने एक मोटरसाईकिल पैसन प्रो रंग काला अतर्रा कस्बा से चोरी किया था, जो कल दिनांक 08.05.2015 को बस अड्डे पर चेकिंग के दौरान पकड़ ली गयी, जिसपर नम्बर नहीं है और उसके आगे हेड लाईट के ऊपर प्रदेश सचिव समाजवादी पाटी(लो0वा0) लिखा है, पुलिस ने कर्वी कोतवाली में सीज कर दिया। इसपर पकड़े गये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बताते हुये समय करीब 17:30 बजे हिरासत

पुलिस में एवं बरामदशुदा मोटरसाईकिल को कब्जा पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के दौरान जनता व आस–पास के तमाम लोग इकट्ठा हो गये, परन्तु भलाई–बुराई के कारण हट गये। फर्द मौके पर लिखकर हमराही कर्मचारीगण एवं अभियुक्त के अलामात बनवाये गये तथा फर्द की प्रति अभियुक्त को दी गयी।

03– वादी मुकदमा की उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट में अभियुक्त इरफान उर्फ सलमान के विरूद्ध दिनांक 09.05.2015 समय 19.40 बजे मुकदमा अपराध संख्या 362/2015, धारा–41, 411, 413 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी, जिसका तस्किरा नकल रपट जी0डी0 नम्बर 43 समय 19.40 बजे दिनांकित 09.05.2015 पर किया गया।

04– मामले की विवेचना उप निरीक्षक सौरभ तिवारी द्वारा आरम्भ की गयी, जिन्होनें दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा बाद विवेचना अभियुक्त इरफान उर्फ सलमान के विरूद्ध धारा 413 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

05– तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट द्वारा आरोप–पत्र पर संज्ञान लिया गया तथा सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 20.08.2015 के द्वारा मामले को विचारण हेतु विद्वान सत्र न्यायालय सुपुर्द किया किया, जहाँ से अन्तरित होकर यह सत्र परीक्षण विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

06– न्यायालय द्वारा अभियुक्त इरफान उर्फ सलमान के विरूद्ध धारा 413 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया तथा आरोपित आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया है तथा न्यायालय द्वारा परीक्षण की मांग की।

07– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में निम्नलिखित

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, चित्रकूट।
I.D. No. UP 1521

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है–

1–	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–1
2–	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–2
3–	मुकदमा कायमी जी0डी0 नं0 43	प्रदर्श क–3
4–	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–4
5–	आरोप पत्र	प्रदर्श क–5

08– अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने केस के समर्थन में निम्नांकित अभियोजन साक्षी परीक्षित कराये गये हैं–

1– पी0डब्लू0–01 उप निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद यादव	वादी मुकदमा
2– पी0डब्लू0–02 कां0 संदीप कुमार	एफ0आई0आर0 व नकल रपट लेखक
3– पी0डब्लू0–03 उप निरीक्षक सौरभ तिवारी	विवेचक

09– बाद समाप्ति साक्ष्य अभियोजन, अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा साक्षियों द्वारा गलत साक्ष्य दिया जाना बताते हुये मुकदमें को झूंठा चलना कहा है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में साक्ष्य देनें से इन्कार किया है।

10– मैनें बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विद्वतापूर्ण तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी द्वारा मय हमराही पुलिस बल के मुखबिरखास की सूचना पर दिनांक 09.05.2015 को समय 17.30 बजे घटनास्थल ब्रम्हचर्य इण्टर कालेज कर्वी, थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट में अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल पंजीयन संख्या यू0पी0 73ई–0342 पैशन प्रो रंग लाल बरामद हुई, जिसे अभियुक्त बेचने के उद्देश्य में था। यह भी तर्क दिया गया कि इसके पूर्व भी अभियुक्त द्वारा अन्य मोटरसाईकिलों की चोरी करके बेची गयी हैं। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक

साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित है। अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाय।

12– बचाव पक्ष की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन के अनुसार मुखबिरखास की सूचना पर अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल की बरामदगी दिनांक 09.05.2015 को समय 17.30 बजे कस्बा कर्वी अन्तर्गत स्थित ब्रम्हचर्य इण्टर कालेज कर्वी के पास से किया जाना तथा इस मोटरसाईकिल को अभियुक्त द्वारा बेचने के उद्देश्य से घटनास्थल पर लेकर आना बताया गया है, किन्तु इस गिरफ्तारी एवं बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी नहीं है और न ही मौके पर किसी क्रेता की उपस्थिति ही पायी गयी है। अभियोजन साक्षियों के बयान में घटना एवं घटनाक्रम के सम्बन्ध में गम्भीर विरोधाभाष है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं होता है। अभियुक्त निर्दोष है, उसे बरी किया जाय।

13– अभियुक्त पर लगाये गये आरोपो को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

14– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **पी0डब्लू0–01 उप निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद यादव,** जो प्रस्तुत मामले का वादी मुकदमा है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 09.05.2015 को वह थाना कोतवाली कर्वी में उप निरीक्षक के पद पर तैनात था, उक्त तिथि को दिन में समय करीब 08:20 बजे मय हमराही वह थाना से रवाना हुआ था तथा रास्ते में उप निरीक्षक रविन्द्रनाथ राय मिले, जिन्हें साथ लेकर मुखबिर की सूचना के आधार पर भैरो पागा रोड़ ब्रम्हचर्य इण्टर कालेज के पास पहुॅचे, तो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाईकिल पर स्टैण्ड लगाये बैठा दिखाई दिया, जो पुलिस बल को देखकर मोटरसाईकिल स्टार्ट कर मोड़ कर संतोषी माता के मन्दिर की तरफ भागने लगा तथा मोटरसाईकिल अनियंत्रित होनें के कारण गिर पड़ा, जिसे पुलिस बल द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया तथा नाम–पता पूंछते हुये भागने का कारण पूंछा गया, तो

पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम इरफान उर्फ सलमान पुत्र अतीक अहमद निवासी तरौंहा, हाल पता काशीराम कालोनी कमरा नम्बर 315 लोढ़वारा थाना कर्वी बताया तथा मोटरसाईकिल पैशन प्रो बरंग लाल रजिस्ट्रेशन नम्बर यू0पी0 73ई 0342 के बाबत पूंछा गया, तो मोटरसाईकिल को सिराथू कौशाम्बी से चोरी करना बताया तथा बेचने के लिए प्रयासरत् होना कहा। मौके पर उपस्थित आये जनता के व्यक्तियों को गवाही के लिये कहा गया, किन्तु कोई तैयार नहीं हुआ। कारण बताकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा तथा बरामदशुदा मोटरसाईकिल को कब्जा पुलिस लिया गया। फर्द मौके पर तैयार की गयी तथा हमराहीगण के हस्ताक्षर बनवाकर फर्द की नकल इरफान को दी गयी। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी की फर्द कागज संख्या 5क पर बने स्वयं के हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुये फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा भी की गयी है।

15– अभियोजन गवाह **पी0डब्लू0–02 कां0 संदीप कुमार (चिक एफ0आई0आर0 नकल रपट लेखक)** ने अपने सशपथ बयान में वादी मुकदमा उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत फर्द बरामदगी के आधार पर इस प्रकरण की चिक एफ0आई0आर0 किता किया जाना तथा जिसका खुलासा रपट नम्बर 43 पर किया जाना कहा है। साक्षी ने चिक एफ0आई0आर0 व रपट नम्बर 43 की कार्बन प्रति को क्रमशः प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा भी की गयी है।

16– अभियोजन गवाह **पी0डब्लू0–03 उप निरीक्षक सौरभ तिवारी (विवेचक)** ने अपने सशपथ बयान में दिनांक 10.05.2015 को थाना कोतवाली कर्वी में उप निरीक्षक के पद पर तैनात होना तथा उक्त तिथि को मुकदमा अपराध संख्या 362/2015 धारा 41/411, 413 भ0दं0सं0 की विवेचना प्राप्त होनें पर दौरान विवेचना की गयी कार्यवाही से अवगत कराते हुये पत्रावली में संलग्न नक्शा नजरी व आरोप पत्र को स्वयं के हस्तलेख

व हस्ताक्षर में होनें की पुष्टि करते हुये क्रमशः प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 10क/1 लगायत 10क/4 मुकदमा अपराध संख्या 369/2015 धारा 379 भा0दं0सं0 थाना सैनी, जिला कौशाम्बी की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जी0डी0 की पुष्टि की है एवं पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 12क/2 प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 126/2014 धारा 380 भा0दं0सं0 थाना अतर्रा की भी पुष्टि की है साथ ही इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 14ख/28 मोटरसाईकिल यू0पी0 96डी 2689 से सम्बन्धित रिलीज आदेश के आधार पर वाहन स्वामी संदीप कुमार द्वारा मोटरसाईकिल रिलीज करा लिया गया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा भी की गयी है।

17– अभियोजन के अनुसार दिनांक 09.05.2015 को समय 17.30 बजे मुखबिरखास की सूचना पर कस्बा कर्वी स्थित ब्रम्हचर्य इण्टर कालेज कर्वी, थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट से अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल पंजीयन संख्या यू0पी0 73ई–0342 पैशन प्रो रंग लाल बरामद हुई, जिसे अभियुक्त बेचने के उद्देश्य में था। यह भी तर्क दिया गया कि इसके पूर्व भी अभियुक्त द्वारा अन्य मोटरसाईकिलों की चोरी करके उनका विक्रय किया गया है।

18– उक्त अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों ने घटना का समर्थन मुख्य परीक्षा में किया है। अब यह देखना है कि उनके बयानों में कितना विरोधाभाष है। बचावपक्ष का कहना है कि घटना वास्तव में नहीं घटी बल्कि अभियुक्त को थाने लाकर उससे फर्जी बरामदगी दिखाकर चालाना किया गया है।

19– इस सम्बन्ध में बचावपक्ष का तर्क है कि अभियोजन ने पुलिस बल की थाने से रवानगी जी0डी0 साबित नहीं किया है। पुलिस टीम के थाने से रवानगी के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के एक मात्र साक्षी वादी मुकदमा पी0डब्लू0–01 ने प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ 02 पर कथन

किया है कि ''.....घटना दिनांक 09.05.2015 की है। थाने से हम लोग 08:20 पर रवाना हुये थे। रपट संख्या 12 पर रवानगी हुई थी। जिस रपट संख्या पर हम लोगों की रवानगी हुई थी, वह पत्रावली में दाखिल नहीं है।.....'' ऐसे वादी मुकदमा पी0डब्लू0–01 ने यह माना है कि रवानगी की जी0डी0 पत्रावली पर नहीं है। ध्यान देनें योग्य बात यह है कि बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित एक मात्र साक्षी पी0डब्लू0–01 ने रवानगी जी0डी0 साबित ही नहीं किया है और न ही अभियोजन द्वारा उसे पत्रावली में दाखिल ही किया गया है। जबकि रवानगी जी0डी0 के साबित न करने से इस तथ्य को साबित नहीं माना जा सकता कि अभियोजन तथ्य के साक्षी रपट नम्बर 12 समय 08:20 बजे दिनांक 09.05.2015 को थाने से निकले थे। इस सम्बन्ध में न्यायनिर्णय **मथुरा प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य 2005 सी0वी0सी0 220 इलाहाबाद** में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि रवानगी जी0डी0 साबित नहीं की जाती, तो थाने से पुलिस टीम की रवानगी व बरामदगी सन्देहास्पद मानी जायेगी। ऐसे में अभियोजन द्वारा रवानगी जी0डी0 को पत्रावली में दाखिल कर उसे साबित न कराया जाना अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद बनाता है।

20– बचाव पक्ष का तर्क है कि घटनास्थल सार्वजनिक स्थान है, परन्तु जनता के किसी गवाह को साक्षी नहीं बनाया गया है और न ही उसे न्यायालय में पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा पी0डब्लू0–01 ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि मौके पर उपस्थित आये जनता के व्यक्तियों को गवाही के लिये कहा गया, किन्तु कोई तैयार नहीं हुआ। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में साक्षी ने पृष्ठ 03 पर कथन किया है कि ''.....मेरे द्वारा जनता के गवाह का प्रयास किया गया था, लेकिन कोई गवाही देनें के लिए तैयार नहीं हुआ, जिससे पूंछा था, उसका नाम फर्द में नहीं लिखा।.....'' इससे यह स्पष्ट है कि घटनास्थल के आसपास लोग मौजूद रहे है, ऐसे में बरामदगी की टीम आसानी से स्वतंत्र साक्षी, सड़क पर आने–जाने वाले लोग या आस–पास

रहने वाले व्यक्तियों, मुहल्ले के सभासद व अन्य सम्भ्रान्त व्यक्तियों को गवाही की उपस्थिति में अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी की जा सकती थी, किन्तु पुलिस बल द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि वे लोग जिन्होंने गवाह बनने से मना किया, तो उन्हें नोटिस दिया या नहीं यह भी नहीं बताया गया साथ ही उनका नाम पता ज्ञात क्यों नहीं किया गया और यदि वे नाम नहीं बता रहें थे तो पुलिस को सहयोग न करने के लिये उनके विरूद्व मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया, यह भी बरामदगी के साक्षी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में यह पाया जा रहा है कि जनता के लोगों को जानबूझकर गवाह नहीं बनाया गया है। इस सम्बन्ध में न्याय निर्णय **रोशनलाल बनाम उ0प्र0 राज्य 2007 (58) ए.सी.सी. 723 इलाहाबाद** तथा **रमजान बनाम उ0प्र0 राज्य 2011 (72) ए.सी.सी. 105 इलाहाबाद** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि लोक स्थान या आबादी क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा जनता के लोगों को गवाह नहीं बनाया जाता है या स्वतन्त्र साक्षी शामिल नहीं किये जाते हैं, तो अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद माना जायेगा। ऐसे में यह पाया जा रहा है कि पुलिस टीम द्वारा जानबूझकर जनता के लोगों को गवाह नहीं बनाया गया है। जिसके कारण बरामदगी सन्देहास्पद हो जाती है।

न्याय निर्णय **फिरोज अहमद बनाम उ0प्र0 राज्य 2004 सी.बी.सी. 65 इलाहाबाद** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि जनता का गवाह उपस्थित कराया जा सकता था, परन्तु पुलिस टीम द्वारा उनको गवाह के रूप में उपस्थित नहीं किया गया है, तो न सिर्फ बरामदगी सन्देहास्पद मानी जायेगी, बल्कि बरामदगी के प्रतिकूल उपधारणा की जायेगी। इस प्रकार उक्त न्यायनिर्णय के प्रकाश में जनता के गवाह उपलब्ध होनें के बावजूद उनको साक्षी न बनाना अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद बनाता है।

21— यह भी उल्लेखनीय है कि फर्द की एक प्रति मौके पर ही अभियुक्त इरफान उर्फ सलमान को दिये जाने का उल्लेख फर्द बरामदगी प्रदर्श

क–1 में किया गया है तथा अभियोजन तथ्य के गवाह वादी मुकदमा पी0डब्लू0–01 ने भी अपने बयान में फर्द की नकल अभियुक्त इरफान को दिया जाना कहा है, परन्तु पत्रावली में संलग्न वापसी जी0डी0 संख्या 42 समय 19:40 दिनांकित 09.05.2015 प्रदर्श क–3 में यह लिखा गया है कि अभियुक्त की बाद लिवाने जामा तलाशी रूबरू संतरी पहरा अलावा पहने कपड़ो के कोई शय बरामद नहीं हुई। यदि वास्तव में मौके पर फर्द की प्रति अभियुक्त को दी गयी होती, तो लगातार अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहा है, ऐसे में थाने पर तलाशी के दौरान उसके पास से फर्द की प्रति अवश्य प्राप्त होती। थाने पर जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से फर्द की प्रति का न मिलना यह साबित करता है कि न तो मौके पर घटना हुई, न ही मौके पर फर्द बनायी गयी, न ही मौके पर फर्द की प्रति अभियुक्त को दी गयी, बल्कि समस्त कार्यवाही थाने पर ही की गयी है। ऐसे में भी अभियोजन कथानक सन्देहास्पद है।

22– बचाव पक्ष का तर्क है कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका है कि अभियुक्त चोरी की साईकिलो को खरीदने, बेचने का कार्य करता है। इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा पी0डब्लू0–01 ने यह कहा है कि मुखबिर की सूचना के आधार पर भैरो पागा रोड़ ब्रम्हचर्य इण्टर कालेज के पास पहुॅचे, तो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाईकिल पर स्टैण्ड लगाये बैठा दिखाई दिया, जो पुलिस बल को देखकर मोटरसाईकिल स्टार्ट कर मोड़ कर संतोषी माता के मन्दिर की तरफ भागने लगा तथा मोटरसाईकिल अनियंत्रित होनें के कारण गिर पड़ा, जिसे पुलिस बल द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया तथा नाम–पता पूंछते हुये भागने का कारण पूंछा गया, तो पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम इरफान उर्फ सलमान पुत्र अतीक अहमद निवासी तरौंहा, हाल पता काशीराम कालोनी कमरा नम्बर 315 लोढ़वारा थाना कर्वी बताया तथा मोटरसाईकिल पैशन प्रो बरंग लाल रजिस्ट्रेशन नम्बर यू0पी0 73ई 0342 के बाबत पूंछा गया, तो मोटरसाईकिल को सिराथू कौशाम्बी से चोरी करना बताया तथा बेचने के लिए प्रयासरत् होना बताया तथा मौके पर अभियुक्त ने बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाईकिल पैशन प्रो रंग काला को भी चोरी

का होना बताया, जोकि एक दिन पहले पुलिस द्वारा कर्वी बस स्टैण्ड पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त के पास से सीज की गई थी और कोतवाली में दाखिल थी। अभियोजन तथ्य के इस साक्षी के उक्त बयान से यह पता चलता है कि पुलिस टीम को अभियुक्त के कहने के आधार पर यह पता चला कि अभियुक्त मोटरसाईकिल चोरी करने व बेचने का काम करता है। जब इस सम्बन्ध में पी0डब्लू0–01 से पूंछा गया, तो उसने जिरह के पेज 3 पर कहा है कि ''.....मोटरसाईकिल में नम्बर पड़ा था। गाड़ी नम्बर यू0पी0 73ई 0342 गाड़ी पैशन प्रो लाल रंग की थी। यह गाड़ी कहा लिये जा रहे थे, इस सम्बन्ध में हमने कोई पूंछतांछ नहीं किया था। बेचने के लिये लिये जा रहे थे, कहाँ लेकर बेचने जा रहा था, यह बात हमने नहीं पूंछी।.....'' इस साक्षी ने अपने बयान में घटनास्थल व उसके आस–पास कथित मोटरसाईकिल का कोई खरीददार मौजूद होनें सम्बन्धी कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई पुष्टिकारक दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह पाया जाता हो कि अभियुक्त अभ्यासतः चोरी करता था और किसी को मोटरसाईकिल विक्रय किया हो अथवा बरामदशुदा मोटरसाईकिल किसी को बेच रहा हो। यह भी साक्ष्य नहीं दिया गया है कि अभियुक्त यदि किसी को चोरी का सामान बेचता था, तो वो कौन था। इतना ही नहीं अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्वि भी पेश नहीं की गयी है, जिससे यह पता चलता हो कि अभियुक्त अभ्यासतः चोरी करने व चोरी का सामान बेचने के कार्य में संलिप्त था। इस सम्बन्ध में न्यायनिर्णय **कोटा गोपीनाथ चौधरी बनाम उड़ीसा राज्य 2003 सी0आर0एल0जे0 4050** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 413 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को साबित करने के लिए धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता में पूर्व दोषसिद्धि साबित होनी आवश्यक है। विवेचक अथवा अभियोजन तथ्य के साक्षियों के बयान से यह साबित नहीं हुआ है कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास है और मौके पर मोटरसाईकिल खरीदने–बेचने का कोई साक्ष्य या व्यक्ति भी नहीं मिला है। ऐसे में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 413 का

अपराध भी अभियोजन साबित नहीं कर सका है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अभियुक्त के कब्जे से बरामदशुदा कथित मोटरसाईकिल के स्वामी को पेश कर यह साबित नहीं कराया गया है कि उसके द्वारा अभियुक्त को मोटरसाईकिल चोरी करते हुये देखा गया हो अथवा अभियुक्त के कब्जे से स्वयं की मोटरसाईकिल को बरामद होते देखा गया हो। विवेचक पी0डब्लू0–03 ने अपने बयान में यह कथन किया है कि मुकदमा से सम्बन्धित मोटरसाईकिल संख्या यू0पी0 73ई 0342 पैशन प्रो रंग लाल थाना सैनी जनपद कौशाम्बी से चोरी हुई थी, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 369/2015 धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत हुआ था, जिसकी नकल चिक, नकल रपट केस डायरी में संलग्न है। एक अन्य मोटरसाईकिल पैशन प्रो रंग काला अतर्रा कस्बा थाना अतर्रा, जिला बांदा से अभियुक्त इरफान उर्फ सलमान द्वारा चोरी किया था, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 126/2014 धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता से सम्बन्धित है, जिसकी नकल चिक केस डायरी में संलग्न है। उल्लेखनीय है कि उक्त मोटरसाईकिलो के स्वामी को प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी के रूप में पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता कि उनके द्वारा अभियुक्त को मोटरसाईकिलो की चोरी करते हुये अथवा अभियुक्त के कब्जे से बरामद होते देखा गया हो। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा बरामदशुदा मोटरसाईकिल को बेचने के उद्देश्य से उसका अभ्यसतः व्यापार किये जाने सम्बन्धी कोई पुष्टिकारक साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में विवेचक द्वारा कथित बरामद मोटरसाईकिल को अभ्यासतः चोरी करने कर उनका व्यापार करने सम्बन्धी साक्ष्य न पाने के बावजूद आरोप पत्र प्रेषित करना विवेचक की त्रुटिपूर्ण विवेचना को दर्शित करता है, जो आपत्तिजनक है।

23– इस प्रकार उक्त विवेचना से यह पाया जा रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त का प्रश्नगत मोटरसाईकिल की खरीद–फरोख्त एवं अभ्यासतः व्यापार किये जाने का तथ्य भी साबित नहीं कर सका है। ऐसे में अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 413 भारतीय

दण्ड संहिता साबित नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्त इरफान उर्फ सलमान लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 413 भारतीय दण्ड संहिता से अभियोजन साक्ष्य के अभाव में सन्देह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **इरफान उर्फ सलमान** पुत्र अतीक अहमद, निवासी तरौंहा, हाल पता लोढ़वारा कालोनी कर्वी, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट को सत्र परीक्षण संख्या 173/2015, मुकदमा अपराध संख्या 362/2015, धारा 413 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट के के अन्तर्गत आरोप से सन्देह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त इरफान उर्फ सलमान 07(सात) दिन के अन्दर धारा–437A दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्राविधान के अनुपालन में इस आशय का मु0–20,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की 01(एक) प्रतिभू दाखिल करेगा कि वह इस निर्णय की अपील होनें की दशा में दौरान अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार उपस्थित होना सुनिश्चित करेगा।

बाद बीतने अवधि अपील बरामदशुदा माल यदि कोई हो, नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

दिनांक–10.03.2026

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01,चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–10.03.2026

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01,चित्रकूट।
ID No.-UP 1521

(अनुराग कुरील)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, चित्रकूट।
I.D. No. UP 1521